भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 874
(जिसका उत्तर मंगलवार, 3 दिसंबर, 2024/12 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

सेबी के शीर्ष अधिकारीगण में हितों और पारदर्शिता संबंधी टकराव

874. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:
श्रीमती रंजीत रंजन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वित्तीय आस्तियों की घोषणा और हितों के संभावित टकराव के संबंध में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) सेबी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दी गई प्रतिक्रिया, जिसमें निर्णायक भूमिका से हटने संबंधी मामलों के संबंध में तत्काल सूचना उपलब्ध न होने का हवाला दिया गया था, को देखते हुए उचित अभिलेख बनाए रखने और सेबी में जनता के विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) सरकार की सेबी के शीर्ष अधिकारीगण से संबंधित संभावित हितों के टकराव से जुड़ी चिंताओं का किस प्रकार समाधान करने की योजना है; और

(घ) क्या सरकार ऐसे प्रकटीकरण से निपटने के लिए सेबी के आंतरिक तंत्र की समीक्षा करने पर विचार कर रही है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास हितों के टकराव से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए पर्याप्त आंतरिक तंत्र मौजूद है, जिसमें प्रकटीकरण ढांचा और निर्णायक भूमिका से हटने संबंधी प्रावधान शामिल हैं।

सेबी के बोर्ड ने अध्यक्ष सहित अपने बोर्ड के सदस्यों के लिए हितों के टकराव संबंधी एक संहिता अपनाई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड इस तरह से कार्य करे जिससे उसकी अपने अधिदेश को पूरा करने की क्षमता से समझौता न हो या सदस्य(यों) द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता में जनता का विश्वास कम न हो।

अन्य वरिष्ठ अधिकारियों अर्थात सेबी के कर्मचारियों को सेबी (कर्मचारी सेवा) विनियमन, 2001 द्वारा प्रशासित किया जाता है जो वित्तीय आस्ति और हितों के संभावित विवादों का निपटान करने में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है।
